18/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण को जवाब पेश करने का अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः नरवमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 105/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

ताजा बनाम जुना दर्गेश

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री खेतराम देवासी

निर्णय दिनांक – 19/08/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र इन्द्रा मु.आनि. क्षेत्र जस्टी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 221/25 रकबा 4.8562 हैक्टर किस्म बारानी सोयन** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय उक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी पैमाईश एवं नेखनबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पैमाईश एवं नेखनबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के उक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखनबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र इन्द्रा मु.आनि. क्षेत्र जस्टी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 221/25 रकबा 4.8562 हैक्टर किस्म बारानी सोयन** की नेखनबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखनबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखनबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखनबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखन स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।
तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखनबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखनबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/08/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

18/8/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. ताजा पुत्र प्रभु जाति कुम्हार (कुम्हार), निवासी धुड़ावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. जुमा पुत्र सतार 2. मिया पुत्र सतार जाति मुसलमान 3. धेवरगर पुत्र चेनगर 4. नारायणगर पुत्र चेनगर 5. मु. जीया पत्नि चेनगर जाति स्वामी, नि. धुड़ावा 6. मुलाराम पुत्र जेताराम 7. रेखाराम पुत्र जेताराम 8. केसीदेवी पत्नि दलाराम 9. पेम्पोदेवी पत्नि दीपाराम जाति कुम्हार, निवासी पांधी का निवाण 10. आईदानराम पुत्र मोटाराम 11. कल्लाराम पु. महरूपाराम 12. जगदीश पुत्र मोटाराम 13. फुलीदेवी पत्नि महरूपाराम 14. मांगीलाल पुत्र महरूपाराम 15. लिखमाराम पुत्र मोटाराम 16. हरखाराम पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत, निवासी धुड़ावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 17. हारूण पुत्र अलीखान जाति मुसलमान, नि. रते का तला 18. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 105/2024 — दिनांक : 18/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 221/25 रकबा 4.8562 हैक्टर किस्म बारानी सोयम** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

18/6/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/2129-32
दिनांक 20/06/2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–
1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी ताजा पुत्र प्रभु।
3. विप्रार्थीगण जुमा पुत्र सतार वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/बाखासर।

18/6/24
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा